



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2470]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2014/अग्राहायण 13, 1936

No. 2470]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2014/AGRAHAYANA 13, 1936

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3064(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012 में और संशोधन करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामतः :—

- (1) यह आदेश इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2014 कहा जाएगा।
(2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 में पैराग्राफ 2 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (iii) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, नामतः :—

“(iv) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नामित उपयुक्त अधिकारी”

- इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012 में अनुसूची में स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“स्पष्टीकरण 1 : इस आदेश के प्रावधानों का इस्तेमाल कालम (1) के अंतर्गत उल्लिखित आवंटित भारतीय मानक संख्या के तहत शामिल अनुसूची के कालम (2) में वर्णित उत्पादों के लिए किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 : कालम (3) के अंतर्गत उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोड्स समरूपी हैं और स्वभाव में संकेतात्मक हैं।”

[फा. सं. 1(1)/2014-टीडब्ल्यू]

डी. बी. सिंह, निदेशक

नोट:—मूल आदेश का.आ. 415(अ), दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और जिसे बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 499(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2013 से संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF STEEL

ORDER

New Delhi, the 4th December, 2014

S.O. 3064(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order further to amend the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2012, namely :—

1. (1) This order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) (Amendment) Order, 2014.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2012, in paragraph 2, in clause (b), after sub-clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—
“(iv) Appropriate officer nominated by Director General, Bureau of Indian Standards.”.
3. In the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2012, in the Schedule, for Explanation, the following shall be substituted, namely:—

“Explanation 1.—The provisions of this Order shall apply to the products described under column (2) of the Schedule covered under the relevant Indian Standard number mentioned under column (1).

Explanation 2.—ITC (HS) Codes mentioned under column (3) are generic and indicative in nature.”.

[F. No. 1(1)/2014-TW]

D. B. SINGH, Director

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 414(E), dated the 12th March, 2012 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 449(E), dated the 15th February, 2013.

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3065(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 में और संशोधन करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामतः :—

1. (1) यह आदेश इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय (दूसरा संशोधन) आदेश, 2014 कहा जाएगा।
- (2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 (जिसे आगे द्वितीय आदेश कहा गया है) में पैराग्राफ 2 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (iii) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, नामतः :—
“(iv) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नामित उपयुक्त अधिकारी”
3. द्वितीय आदेश में अनुसूची में कालम (3) के अंत में भारतीय मानक संख्या 1786 के सामने आईटीसी (एचएस) कोड्स “72279090, 72283029, 72286099, 72285090 और 72286012” जोड़ा जाएगा।

4. द्वितीय आदेश में अनुसूची में स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“स्पष्टीकरण 1—इस आदेश के प्रावधानों का इस्तेमाल कालम (1) के अंतर्गत उल्लिखित आवंटित भारतीय मानक संख्या के तहत शामिल अनुसूची के कालम (2) में वर्णित उत्पादों के लिए किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—कालम (3) के अंतर्गत उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोड्स समरूपी हैं और स्वभाव में संकेतात्मक हैं।”

[फा. सं. 1(1)/2014-टीडब्ल्यू]

डी. बी. सिंह, निदेशक

नोट:—मूल आदेश का.आ. 415(अ) दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और जिसे बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 2128(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2012, का.आ. 2510(अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2012, का.आ. 450(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2013, का.आ. 853(अ), दिनांक 28 मार्च, 2013, का.आ. 3011(अ), दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 और का.आ. 979(अ), दिनांक 31 मार्च, 2014 से संशोधित किया गया है।

ORDER

New Delhi, the 4th December, 2014

S.O. 3065(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order further to amend the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012, namely :—

- (1) This order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Second (2nd Amendment) Order, 2014.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- In the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012 (hereinafter referred to as Second Order) in paragraph 2, in clause (b), after sub-clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—
“ (iv) Appropriate officer nominated by Director General, Bureau of Indian Standards.” .
- In the Second Order, in the Schedule, against Indian Standard number 1786, ITC(HS) codes “72279090, 72283029, 72286099, 72285090 and 72286012” shall be inserted at the end under column (3).
- In the Second Order, in the Schedule, for Explanation, the following shall be substituted, namely:—

“Explanation 1 .— The provisions of this Order shall apply to the products described under column (2) of the Schedule covered under the relevant Indian Standard number mentioned under column (1).

Explanation 2 .— ITC(HS) Codes mentioned under column (3) are generic and indicative in nature.”.

[F. No. 1(1)/2014-TW]

D. B. SINGH, Director

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 415(E), dated the 12th March, 2012 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2128(E), dated the 10th September, 2012 ; S.O. 2510(E), dated the 17th October, 2012, S.O. 450(E), dated the 15th February, 2013, S.O. 853(E), dated 28th March, 2013, S.O. 3011(E), dated 1st October, 2013 and S.O. 979(E), dated 31st March, 2014.